राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 564/2025

ललिता मीणा **–अपीलार्थी**

बनाम

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्कूल शिक्षा, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
3. जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), माध्यमिक, जयपुर।
4. प्रधानाचार्य, राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, थौलाई, आंधी, जयपुर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 20.01.2025
आदेश की दिनांक : 03.02.2025

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री उम्मेद सिंह तंवर, अभिभाषक

समक्ष :– चेतन राम देवड़ा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलिता प्रदान करते हुए उक्त अपील की सुनवाई की गई।
2. अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए तर्क किया कि अपीलार्थी वर्तमान में अध्यापक ग्रेड III, लेवल–II, सामाजिक विज्ञान के पद पर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, थौलाई आंधी, जिला जयपुर में कार्यरत है। अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति अध्यापक ग्रेड III, लेवल–II के पद पर जून, 2005 में सीकर जिले में हुई थी, जहां पर अपीलार्थी द्वारा दिनांक 02.06.2005 को कार्यग्रहण कर लिया। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 06.12.2024 के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण वर्तमान पदस्थापित स्थान से राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, जयसिंहपुरा, सांभरलेक में किया गया। अपीलार्थी प्रारम्भिक शिक्षा विभाग का कार्मिक होने के बावजूद आलोच्य आदेश के द्वारा अपीलार्थी को अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर अपीलार्थी का सांभरलेक

ब्लॉक में पदस्थापन किया गया है। जो कि प्रारम्भिक शिक्षा विभाग के आदेश दिनांक 28.05.2019 के विपरीत एवं विधि विरूद्ध है।

3. प्रत्यर्थी विभाग ने आदेश दिनांक 14.11.2024 के निर्देश सं. 3 सामान्य निर्देश के पैरा सं. 5 में भी यह उल्लेख किया है कि राजस्थान शिक्षा सेवा राज्य एवं अधीनस्थ नियम 2021 के नियम 6(3) व पुराने नियम 6 डी के तहत शिक्षा विभाग में लिये जाने की कार्यवाही नहीं की गई है। उन्हें विभाग में पद शेष नहीं होने की स्थिति में अधिशेष मानते हुए पंचायत राज पदों पर लगाया जायें। जब प्रत्यर्थी सं. 3 के समक्ष ब्लॉक आंधी में अपीलार्थी के पदानुसार कोई पद रिक्त नहीं था तो उक्त प्रावधानों को तहत अपीलार्थी को पंचायती राज विभाग को सौंपा जाना चाहिए था तथा पंचायती राज विभाग में ब्लॉक आंधी में राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, हींगवाला, सुन्दरपुरा, बल्लुपुरा व राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, गठवाड़ी, आमेर व बल्लुपुरा, सुमेल में अध्यापक ग्रेड़ तृतीय लेवल द्वितीय सामाजिक विज्ञान के पद रिक्त थे। जिसकी सूची भी प्रत्यर्थी विभाग ने जारी की है। जिस पर आज तक किसी भी कार्मिक का पदस्थापन नहीं किया गया है तथा प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 14.11.2024 के नियम 3 के बिन्दु सं. 15 के अनुसार अपीलार्थी को उसी ब्लॉक में पदस्थापित किया जाना चाहिए था। परन्तु स्वयं के दिशा–निर्देशों के विपरीत जाकर आलौच्य आदेश जारी किया गया है। जिसको किसी भी प्रकार से प्रशासनिक व जनहित में पारित आदेश नहीं माना जा सकता है (अनुलग्नक–2 व 3)। आलोच्य आदेश पारित करने के बाद कार्मिकों से परिवेदना मांगी गई थी, जिसमें अपीलार्थी ने भी अपनी परिवेदना प्रस्तुत कर पदस्थापन राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, गठवाड़ी, जमवारामगढ़ में मरे पद लेवल–II सामाजिक विज्ञान पर करने का अनुरोध किया गया था (अनुलग्नक–5), जिस पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई तथा प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 17.12.2024 (अनुलग्नक–4) के द्वारा अन्य कार्मिक आशा सैनी के परिवेदना को स्वीकार करते हुए पूर्व के पदस्थापन आदेशों को संशोधित किया गया है। अपीलार्थी भी अन्य कार्मिकों के भांति समान राहत प्राप्त करने का अधिकारी है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जाकर प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 06.12.2024 को अपीलार्थी की सीमा तक अपास्त फरमाया जावे तथा प्रत्यर्थी विभाग को निर्देशित करें कि अपीलार्थी को अध्यापक ग्रेड III,

लेवल–II, सामाजिक विज्ञान के पद पर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, थौलाई आंधी, जिला जयपुर में यथावत पदस्थापित रखा जावे।

4. हमने अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता को अपील की ग्राह्यता एवं स्थगन प्रार्थना–पत्र पर सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध तमाम अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया।
5. बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा अपील में वर्णित आधारों पर अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान करने का अनुरोध किया गया। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत करें।
6. अतः प्रस्तुत अपील के तथ्यों के संबंध में गुणावगुण पर विचार नहीं करते हुए, अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता के अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी 1 सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित आधारों पर एक अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में आगामी 1 सप्ताह की अवधि में एक आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दें। यहां पर यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त निर्देश अभ्यावेदन को विशिष्ट रूप से निस्तारित करने के लिये नहीं दिये जा रहे हैं, वरन् मात्र इस आशय से दिये जा रहे हैं कि अभ्यावेदन को निर्धारित अवधि में नियमानुसार निस्तारित किया जावे।
7. अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य